Present:- M.P.Yadava, Addl.S.J-IX, Katihar, Court No-10,
B.P.No. 613/2026, Manihari Rail P.S. Case No- 02/2025
Kishan Yadav V/s State of Bihar

न्यायालयः अपर सत्र न्यायाधीश, नवम्, कटिहार।

जनपद– कटिहार (बिहार)

B.P. No-613/2026

Manihari Rail P.S.Case No- 02/2025

1. किशन यादव पिता स्व0 भीम व्यास यादव उर्फ भीम नारायण यादव, उ0त0 33 वर्ष निवासी सा0– भगवतीस्थान मनिहारी, थाना– मनिहारी, जिला– कटिहार ....आवेदक।

बनाम

बिहार सरकार ....अभियोजन।

अभियोजन की ओर विद्वान अधिवक्ता अ0स0 लो0 अभि0 श्री सरदार यशवंत सिंह।

आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ताः ....श्री अशोक कुमार ठाकुर।

उपस्थितिः– महेन्द्र प्रसाद यादव, अपर सत्र न्यायाधीश, नवम्, कटिहार।

दिनांक 02.07.2026 आदेश

1. प्रस्तुत जमानत आवेदन दिनांक 18.03.2026 से काराधीन अभियुक्त किशन यादव की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री अशोक कुमार ठाकुर द्वारा सशपथपत्र नवीन वकालतनामा के साथ दाखिल किया गया है। जमानत आवेदन की प्रति विद्वान अपर लोक अभियोजक को उपलब्ध करायी गयी है।
2. अभियोजन का संक्षिप्त केस यह है कि सूचक शे0 हकीम उम्र 45 वर्ष पिता स्व0 जुम्मन साकिन– मेदनीपुर, थाना– मनिहारी, जिला– कटिहार, ने थाना प्रभारी मनिहारी को टंकित आवेदन दिया कि दिनांक 16.02.2025 समय करीब 07 बजे जब सूचक का पुत्र शेख राजू उम्र 30 वर्ष जो रेलवे भूमि, प्लेटफार्म नंम्बर 2 के निकट अपना चाय का दुकान चलाता है। रोज की तरह आज भी उसका पुत्र अपने चाय दुकान पर था उसी दरम्यान ग्राहक बनकर 1. सनोज यादव उर्फ अनुज कुमार यादव उम्र 35 वर्ष पिता उमेश यादव, 2. शेख सहदाब उम्र 34 वर्ष पिता स्व0 मिस्टर साकिन– मनिहारी थाना के निकट, थाना– मनिहारी, जिला– कटिहार, 3. किशन यादव उम्र 32 वर्ष पिता स्व0 भीम ब्यास यादव साकिन– भगवति स्थान मनिहारी, थाना– मनिहारी, जिला– कटिहार, 4. शेख राहुल उम्र 25 वर्ष पिता शेख मोकिम साकिन– पूरब टोला, मनिहारी, थाना– मनिहारी, जिला– कटिहार, 5. संजय लाला उम्र 31 वर्ष पिता नामालूम साकिन– चौरसिया टोला, थाना– मनिहारी, जिला– कटिहार, 6. गुड्डू यादव ड्राईवर उम्र 35 वर्ष पिता नामालूम साकिन– बलदियाबाड़ी, थाना– मनिहारी, जिला– कटिहार, वाले एकमत होकर साजिश के तहत आये और सूचक के पुत्र को चाय बनाने को कहा, जिस पर उसका पुत्र चाय बनाने लगा उसी दरम्यान पीछे से घात लगाये अनुज कुमार यादव ने उसके पुत्र के पीट पर जान से मारने के नियत से चाकू से दो बार वार किया और चाकू से एक बार हाथ में वार किया, जिससे उसका पुत्र लहू–लुहान हो गया, उसी दरम्यान उसके पुत्र को शेख सहदाब ने दबोच के जमीन पर पटक दिया, किशन यादव वो शेख राहुल वो संजय लाला उसे लात घूंसा से मारने लगा और गुड्डू यादव ने अपने लात से सूचक के पुत्र के गले को दबा कर रखा, जिससे उसके पुत्र की जान चली जाये। हो–हल्ला की आवाज सुनकर आनन–फानन में मैं उक्त दुकान पर पहुॅचा और अपने पुत्र को बचाने की कोशिश करने लगा तो मुझे भी किशन यादव ने जान से मारने की नियत से पीतल के फाईटर से सर पर मारा जिससे मैं भी लहू–लुहान हो गया। इसी बीच लोगों के सहयोग से वारदातकर्ता में से एक गुड्डु यादव को हमलोगों ने पकड़ लिया जिसे जीआरपी थाना को सुपुर्द कर दिया गया है, साथ ही अन्य लोग फरार होने में सफल हो गये। पता चला है कि फरार कुछ व्यक्ति रवि मेडिकल के आवास में छुप गये थे। मारपीट के कम में उक्त लोगों ने दुकान के गल्ला से 1000/– रूपया निकाल दिया, उसी कम में शेख राहुल ने भी जबरन मेरे पाकेट से 30000/– तीस

Web copy of Katihar

हजार रूपया निकाल लिया जो रूपया मैं अपने व्यापारियों से पोल्ट्री बिक्री का लेकर आया था। स्थानीय लोगों के सहयोग से अपने पुत्र को ईलाज के लिए मनिहारी अनुमण्डल अस्पताल पहुँचाया जहां वह ईलाजरत है और जिन्दगी मौत से जूझ रहा है। इससे पूर्व भी दिनांक 12.02.2025 को सनोज यादव उर्फ अनुज कुमार यादव एवं अन्य ने हमारे परिवार के साथ घटना घटित किया था, जिस संदर्भ का आवेदन श्रीमान थानाध्यक्ष मनिहारी को उक्त तिथि में दिया गया है। पुनः आज इस घटना का उक्त लोगों ने सुनियोजित तरीके से अंजाम दिया है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि अभियुक्तों पर सुसंगत कानूनी कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

3. नियमित जमानत के बिन्दु पर आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री अशोक कुमार ठाकुर एवं विद्वान अपर लोक अभियोजक श्री सरदार यशवंत सिंह को सुना।

4. काराधीन आवेदक की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता श्री अशोक कुमार ठाकुर द्वारा कथन किया गया है कि आवेदक की ओर से इस न्यायालय अथवा मान्नीय उच्च न्यायालय, पटना में कोई नियमित जमानत आवेदन अथवा अग्रिंम जमानत आवेदन दाखिल नहीं किया गया है। आवेदक का कुल तीन आपराधिक इतिहास 1. मनिहारी थाना कांड संख्या 237/2022 अन्तर्गत धारा 379 भा0द0वि0, 2. मनिहारी थाना कांड संख्या– 93/2024 अन्तर्गत धारा 394 भा0द0वि0 एवं 3. मनिहारी थाना कांड संख्या– 84/2023 अन्तर्गत धारा 386/34 भा0द0वि0 है, जिसमें वह जमानत पर है। आवेदक निर्दोष व्यक्ति है। यह मामला मनिहारी थाना काड संख्या– 39/2025 का काउन्टर है। आवेदक दिनांक 18. 03.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में है। इस मामले के सह अभियुक्त गुडडु यादव को इसी न्यायालय द्वारा जमानत दिया गया है। आवेदक स्थानीय व्यक्ति है और उसके फरार होने की कोई संभावना नही है। अतः मान्नीय न्यायालय से प्रार्थना है कि आवेदक को जमानत का लाभ दिया जाए।

5. विद्वान अपर लोक अभियोजनक द्वारा आवेदक के जमानत आवेदन का विरोध करते हुए कथन किया गया है अवेदक द्वारा किया गया कृत्य गंभीर प्रकृति का है, जिसके लिए वह जमानत का हकदार नहीं है।

6. उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना एवं संपूर्ण अभिलेख का अवलोकन किया, जिससे विदित है कि सूचक शे0 हकीम पिता स्व0 जुम्मन, साकिन– मेदनीपुर, थाना– मनिहारी, जिला– कटिहार द्वारा टंकित आवेदन के आधार पर किशन यादव एवं अन्य के विरूद्ध मनिहारी रेल थाना कांड संख्या– 02/2025 दिनांक 16.02.2025 अन्तर्गत धारा 126(2), 115(2), 118(2), 109, 303(2), 3(5) भारतीय न्याय संहिता में प्राथमिकी दर्ज किया गया है। अनुसंधानकर्ता द्वारा अनुसंधानोपरान्त आवेदक एवं सह अभियुक्तों के विरूद्ध आरोप पत्र संख्या– 04/2026 दिनांक 03.03.2026 भारतीय न्याय संहिता की धारा 126(2), 115(2), 118(2), 109, 303(2), 3(5) के अन्तर्गत आरोपित करते हुए समर्पित किया गया है। न्यायालय में समर्पित आरोप पत्र एवं कांड दैनिकी के आधार पर विद्वान रेलवे न्यायिक दंडाधिकारी, कटिहार द्वारा आवेदक एवं सह अभियुक्तों के विरूद्ध दिनांक 29.04.2026 को धारा 126(2), 115(2), 118(2), 109, 303(2), 3(5) भारतीय न्याय संहिता के अन्तर्गत अपराध का संज्ञान लिया गया है तथा आवेदक द्वारा दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन आपराधिक विविध वाद संख्या– 186/2026 में मान्नीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक 20.01.2026 को खारिज किया गया है। आवेदक के विरूद्ध अन्य अभियुक्तों के साथ मिलकर सूचक के पुत्र को चाकू से मारकर लहू–लूहान कर देने का आरोप है तथा गला दबाने का आरोप है। आवेदक के विरूद्ध इस मामले के अतिरिक्त 1. मनिहारी थाना कांड संख्या– 237/2022 दिनांक 29.09.20222 अन्तर्गत धारा 379 भा0द0वि0, 2. मनिहारी थाना कांड संख्या– 93/2024 दिनांक 28.04.2024 अन्तर्गत धारा 394/411 भा0द0वि0 एवं 3. मनिहारी थाना कांड संख्या– 84/2023 दिनांक 26.04.2023 अन्तर्गत धारा 386/34 भा0द0वि0 दर्ज पाया गया है, जिसमें वह जमानत पर है। आवेदक दिनांक 18.03.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में है। कांड दैनिकी के कंडिका 45 एवं 50 से विदित है कि जख्मी का जख्म प्रतिवेदन प्राप्त किया गया है जो चिकित्सक की राय में साधारण प्रकृति का पाया गया है। आवेदक पर चाकू से हमला किये जाने का आरोप नहीं है। आवेदक किशन यादव पर शेख राहुल एवं संजय लाला एवं गुड्डु यादव के साथ सूचक के पुत्र पर

Web copy Katihar

गला दबाने का आरोप है, परन्तु जख्मी के जख्म प्रतिवेदन में उसके गले पर कोई जख्म नहीं पाया गया है। मामले के सह अभियुक्त शेख शहदाब को इस न्यायालय द्वारा नियमित जमानत की सुविधा दी गयी है तथा सह अभियुक्त शेख राहुल एवं संजय लाल उर्फ संजय कुमार सिन्हा को माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा आपराधिक विविध वाद संख्या– 186/2026 में दिनांक 20.01.2026 को अग्रिम जमानत की सुविधा दी गयी है।

7. इस प्रकार उपरोक्त सम्पूर्ण विवेचन एवं मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों में आवेदक के न्यायिक अभिरक्षा की अवधि को देखते हुए उसे जमानत पर मुक्त किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है, तदनुसार आवेदक किशन यादव द्वारा दाखिल जमानत आवेदन दिनांक 02.06.2026 को विचारण न्यायालय की संतुष्टि पर मो0 10,000/–रूपये तथा समान राशि के दो प्रतिभू का बंधपत्र दाखिल करने पर निम्नलिखित शर्तों पर न्यायिक अभिरक्षा से मुक्त करने का आदेश दिया जाता है।

1. आवेदक मामले में आरोप गठन के बाद बंधपत्र दाखिल करेगा।
2. एक जमानतदार आवेदक के माता, पिता या परिवार के सदस्य होंगे।
3. आवेदक इस आशय का शपथ पत्र/अंडरटेकिंग दाखिल करेगा कि वह भविष्य में इस तरह के किसी अपराध में संलिप्त नहीं होगा यदि वह इस तरह के अपराध में संलिप्त पाया जाता है तो उसका बंधपत्र खंडित कर दिया जायेगा।
4. आवेदक मामले के विचारण में पूर्ण सहयोग करेगा तथा प्रत्येक तिथि को सदेह न्यायालय में उपस्थित रहेगा। निरंतर तीन तिथियों तक पर्याप्त कारण के बिना सदेह अनुपस्थित रहने पर बंधपत्र खंडित कर दिया जायेगा।
5. आवेदक प्रत्येक महीने के अन्तिम रविवार को मनिहारी थाना में अपनी उपस्थिति दर्ज करायेगा।

कार्यालय आदेश की प्रति विद्वान विचारण न्यायालय को भेजें तथा अभिलेख नियमानुसार अभिलेखागार में जमा करें।

लेखापित

(महेन्द्र प्रसाद यादव)
अपर सत्र न्यायाधीश, नवम्
कटिहार।

Date of order	02-07-2026
Date of Reserving order	02-07-2026
Uploading date	02-07-2026
Uploaded by	

Web copy of Civil Court, Katihar